

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष सं०-३, इलाहाबाद ।

दिनांक-08.06.2023

आदेश

पत्रावली आज प्रस्तुत हुई। अभियुक्त द्वारा स्वेच्छया जुर्म स्वीकार किया गया। अभियुक्त द्वारा जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर जुर्माना अधिरोपित किया गया। अभियुक्त द्वारा अर्थदण्ड न जमा करने पर उसे एक दिन के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

न्यायिक मजिस्ट्रेट
कक्ष सं० 03, इलाहाबाद ।